(72)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/उज्जैन/भू.रा./2017/2488 विरूद्ध आदेश दिनांक 05.05.2017 पारित द्वारा अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन प्रकरण क्रमांक 703/अपील/2015-16.

---

1. सलीम खां पिता छोटे खां
2. शाकीर उर्फ भय्यु पिता छोटे खां
3. अफसर खां पिता सलीम खां

निवासीगण- चेतनपुरा नागदा,
खाचरौद बायपास रोड, जुना नागदा,
तहसील नागदा, जिला उज्जैन, म.प्र. .....आवेदककगण

विरूद्ध

इब्राहीम खां पिता गफ्फार खां
निवासी किल्कीपुरा, नागदा,
तह. नागदा, जिला उज्जैन, म.प्र. .....अनावेदक

श्री ए.आर. यादव, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री दिनेश व्यास, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 9/8/16 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन द्वारा पारित दिनांक 05.05.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक के स्वामित्व व आधिपत्य की जुना नागदा तहसील नागदा में सर्वे नं. 507/3 रकबा 0.41 हेक्टेयर एवं सर्वे नं. 507/3मीन/11 रकबा 0.313 हैक्टेयर भूमि स्थित है। अनावेदक द्वारा उक्त भूमि का दिनांक 22.06.2015 को राजस्व निरीक्षक से कराये गये सीमांकन में अनावेदक की भूमि की पूर्वी सीमा तरफ आवेदकगण का अवैध आधिपत्य पाये जाने पर अनावेदक द्वारा तहसीलदार, नागदा के समक्ष कब्जा वापस दिलाये जाने हेतु संहिता की धारा 250 के तहत आवेदन प्रस्तुत किया गया। तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्र. 1/अ-70/2015-16 दर्ज कर दिनांक 19.10.2015 को आदेश पारित कर आवेदन स्वीकार किया गया। आवेदकगण द्वारा तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी, नागदा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 25.04.2016 को आदेश पारित कर तहसीलदार का आदेश निरस्त कर अपील स्वीकार की गई। अनावेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 05.05.2017 को आदेश पारित कर अपील स्वीकार की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण में आवेदकगण को सुने बगैर उनके विरूद्ध एकपक्षीय आदेश पारित करने में गंभीर त्रुटि कारित की है।

(2) अपर आयुक्त द्वारा कथित संदेहास्पद टीप का सूक्ष्मता से अवलोकन किये बगैर आगामी पेशी दिनांक 17.11.2016 को आवेदकगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। आवेदकगण को अनावेदक द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई। आवेदकगण को सुनवाई का अवसर दिये बगैर पारित वादग्रस्त आदेश त्रुटि पूर्ण होने से निरस्ती योग्य है।

(3) अपर आयुक्त द्वारा विचारण न्यायालय द्वारा पारितआदेश को स्थिर रखे जाने का निष्कर्ष देने में गंभीर कोटि की त्रुटि कारित की गई है।

(4) विवादित भूमि का विधिवत बंटाकन नहीं किया गया था इस कारण जो सीमांकन किया है, वह अवैध है क्योंकि जब तक नंबर नहीं होता, तब तक नक्शे में तरमीम नहीं की जा

सकती। बिना नक्शा तरमीम के सीमांकन संभव नहीं है अर्थात् सीमा का निर्धारण किये जाने के लिए बटे नंबर आवश्यक है। सीमांकन प्रतिवेदन के पृष्ठ क्रमांक 2 पर स्पष्ट है कि अनावेदक द्वारा मौके पर कहा गया कि मुझे अपनी पूर्वी सीमा का ही सीमांकन करवाना है, जबकि सीमांकन पूरी भूमि का एक साथ होता है। सीमांकन प्रतिवेदन में प्रस्तुत नक्शा में वादग्रस्त भूमि के नक्शे पर सर्वे नंबर 507/3 लिखा है और उसमें अवैध आधिपत्य दर्शाया है, जिससे यह स्पष्ट नहीं हो सकता कि कब्जा किस भूमि पर है। अधीनस्थ तहसील न्यायालय द्वारा आवेदकगण के साक्ष्य नहीं कराये इस प्रकार तहसील न्यायालय ने जो कार्यवाही की वह अवैध थी।

(5) अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय का आदेश वैध है, उसमें किसी प्रकार हस्तक्षेप करने की आवश्कयता नहीं है। इस कारण भी निगरानी स्वीकार की जाना न्यायहित में आवश्यक है।

आवेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखते हुए निगरानी स्वीकार कर तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय एवं अपर आयुक्त द्वारा विधिसंगत आदेश पारित किया गया है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है तथा अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवैधानिक आदेश पारित किया गया है, जो कि निरस्त किये जाने योग्य है। यह भी कहा गया कि दो अधीनस्थ न्यायालयों तहसीलदार एवं अपर आयुक्त के समवर्ती निष्कर्ष हैं, जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है। उनके द्वारा निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि का बटांकन के बगैर सीमांकन किया गया है, जबकि बगैर बटांकन के सीमांकन संभव नहीं है, बगैर बटांकन किया गया सीमांकन संदेहास्पद ही माना जायेगा। बिना बटांकन आपस के कब्जे की स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकती। अपर आयुक्त द्वारा इस विधिक तथ्य पर ध्यान देने में त्रुटि की गई है। इस प्रकार अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश विधिसंगत आदेश नहीं है। अतः अपर आयुक्त द्वारा

अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 25.04.2016 निरस्त करने में भूल की गई है, जो कि स्थिर रखे जाने योग्य है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.05.2017 निरस्त करते हुए अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 25.04.2016 स्थिर रखा जाता है। निगरानी स्वीकार की जाती है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर